# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण

अपील संख्या 194/2022

विक्रम देव पुत्र सागर मल, जाति माली, निवासी सूर्य बिहार, वार्ड नं0 22 झुंझुनूं, तहसील झुंझुनूं।

——

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामकुमार मोरवाल, जाति कुमावत, निवासी कस्बा झुंझुनूं, तहसील झुंझुनूं।
2. परमानन्द पुत्र रामचन्द्र, जाति कुमावत, निवासी कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं
3. पिंकी पत्नी मनोहरलाल धूपिया, जाति माली, निवासी वार्ड नं0 49, कस्बा झुंझुनूं जिला झुंझुनूं।
4. राकेश पुत्र रोशनलाल, जाति जाट, निवासी कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. संदीप कुमार पुत्र राजवीरसिंह, जाति जाट, निवासी कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झ
6. हजारी पुत्र दौलतराम, जाति माली, निवासी कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं।
7. भूमि धारक जरिये तहसीलदार झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।

——रे

——

प्रथम अपील अ0धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 इन्तकाल नं0 3897 दिनांक 18.12.20 आदेश तहसीलदार झुंझुनू।

——

उपस्थितः–

1. श्री रोताश कुलहरी, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री संदीप काजला, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट्स सं0 1, 2 व 5 की ओर से उपस्थित।
3. श्री कमल शर्मा, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 6 की ओर से उपस्थित।
4. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट्स सं0 7 की ओर से उपस्थित।
5. रेस्पोडेन्ट सं0 3 व 4 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

## आदेश

दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:22:06 IST
Reason: SelfAttested

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार [illegible] आदेश दिनांक 18.12.2018 न सं0 3897 वाके कस्बा झुंझुनूं के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा 5 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0का0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्ग स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील [illegible] लिखे अनुसार पेश है कि जमीन हाल खसरा 2470 रकबा 0.9000 हैक्टर, जमीन हाल ख0न0 2471 रकबा 0.5500 रकबा 1.4500 हैक्टर स्थित है उक्त आराजियात का मूल खातेदारो द्वारा बेचान कर दिया पर जमीन खाली नही थी जमीन पर प्लाटिग कर मकानात बन गये है व सघन आबादी कुछ रजिस्ट्रियां टुकडों में होने से भूखण्ड का इन्तकाल नही होने से जमाबन्दी में दर्ज न नोटेरी से बेचान होने पर रकबा जमाबन्दी में बोलता है। मगर मौके पर जमीन न रेस्पोडेन्टगण भूमाफिया है। प्रभावशाली व्यक्ति होने उनके पास में खाली पडी कृषि भूमि ख0न0 4173/2470, ख0न0 4174/2471, ख0न0 2464, ख0न0 4172/2463, ख0न0 4 अपीलान्ट की खातेदारी की होने की वजह से रेस्पोडेन्ट प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर ग

कानून, न्याय व पत्रावली है। दिनांक 18.12.2018 को रेस्पोडेन्ट नं0 1 ओमप्रकाश द्वारा रेस्पोडे
व 5 के पक्ष में एक विक्रय पत्र जमीन हाल ख0न0 2470 व 2471 से रकबा 0.3890 हैक्टर
किया गया जो जमीन मौके पर खाली नही थी मगर अदालत मातहत द्वारा यह कहकर स्व
दिया गया कि उक्त भूमि कृषि उपयोग हेतु आ रही है। क्योकि मौके पर सघन आबादी
आराजियात का रेस्पोडेन्ट नं0 4 व 5 द्वारा नपती हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया जिस
हल्का अपनी टीम सहित यह कह रहा कि जमीन में सघन आबादी होने से उक्त
जी0पी0एस0 मशीन से नपवाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजियात का विक्रय पत्र तस्दीक
समय उक्त आराजियात पर राजस्व अपील अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश था जिसकी प्रति
रजिस्ट्रार झुंझुनूं को दे दी गई थी। मगर सब रजिस्ट्रार झुंझुनूं ने स्थगन आदेश का अंकन
के पीछे नोट लगाया गया कि उप पंजीयक पक्षकार नही है मगर आराजियात पर तो स्थग
उसके आधार से कोई इन्तकाल तस्दीक होता है व राजस्व अधिकारी की लापरवाही व मिलीभ
भरा गया है। आराजियात में जब रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पास आराजीयात नही होने से रेस्पोडेन्
से गलत रूप से विक्रय पत्र तस्दीक करवाया गया है। क्योकि उक्त आराजियात टुकडों में
नोटेरी से विक्रय होने पर ही रकबा बचा हुआ है व आराजियात में सघन आबादी होने से
अकृषि हेतु प्रयोग में लायी जा रही है। मगर राजस्व अधिकारियो से मिलकर गलत विक्रय प
करवाकर इन्तकाल तस्दीक हुआ है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील
स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा इन्तकाल नं0 3897 दिनांक 18.12.2018 विधि विरू
खारीज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अ
की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 18.12.2018 को रेस्पोडेन्ट नं0 1 ओमप्र
रेस्पोडेन्ट नं0 4 व 5 के पक्ष में एक विक्रय पत्र जमीन हाल ख0न0 2470 व 2471 से रक
हैक्टर का बेचान किया गया जो जमीन मौके पर खाली नही थी मगर अदालत मातहत द्वारा
स्वीकृत कर दिया गया कि उक्त भूमि कृषि उपयोग हेतु आ रही है। क्योकि मौके पर सघन
उक्त आराजियात का रेस्पोडेन्ट नं0 4 व 5 द्वारा नपती हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया जिस
हल्का अपनी टीम सहित यह कह रहा कि जमीन में सघन आबादी होने से उक्त
जी0पी0एस0 मशीन से नपवाया जाना आवश्यक है। उक्त आराजियात का विक्रय पत्र तस्दीक
समय उक्त आराजियात पर राजस्व अपील अधिकारी द्वारा स्थगन आदेश था जिसकी प्र
रजिस्ट्रार झुंझुनूं को दे दी गई थी। मगर सब रजिस्ट्रार झुंझुनूं ने स्थगन आदेश का अंकन
के पीछे नोट लगाया गया कि उप पंजीयक पक्षकार नही है मगर आराजियात पर तो स्थ
उसके आधार से कोई इन्तकाल तस्दीक होता है व राजस्व अधिकारी की लापरवाही व मिलीभ
भरा गया है। आराजियात में जब रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पास आराजीयात नही होने से रेस्पोडे
से गलत रूप से विक्रय पत्र तस्दीक करवाया गया है। क्योकि उक्त आराजियात टुकडों में
नोटेरी से विक्रय होने पर ही रकबा बचा हुआ है व आराजियात में सघन आबादी होने से
अकृषि हेतु प्रयोग में लायी जा रही है। मगर राजस्व अधिकारियो से मिलकर गलत विक्रय प
करवाकर इन्तकाल तस्दीक हुआ है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर अदालत म
इन्तकाल नं0 3897 दिनांक 18.12.2018 विधि विरुद्ध होने से खारीज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:22:06 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 व 4 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट्स सं0
विरूद्व एकतरफा बहस सुनी गई।

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 1, 2 व 5 ने वकील अपीलान्ट्स
का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट के पास कोई जमीन नही है।
अपनी जमीन बेची है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मे अपीलान्ट सह खातेदार
राजीनामा हुआ था। राजीनामे के कारण नामान्तरकरण वाली जमीन बंटवारे से अलग
अपीलान्ट की अलग खातेदारी की भूमि है। विक्रय पत्र निरस्त करने के मुकदमे के क

बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 6 ने न तो कोई पक्ष नही रखा और न दलील पेश की।

बहस के दौरान राजकीय वकील रेस्पोडेन्ट्स सं0 7 ने वकील अपीलान्ट के क विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत ने विक्रय पत्र के आ नामान्तरकरण तस्दीक किया है। अदालत मातहत के आदेश मे कोई त्रुटि नही है। अत अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि खातेदार ने अपनी जमीन बेची है। न्यायालय अधिकारी मे अपीलान्ट सह खातेदार था जिसमे राजीनामा हुआ था। राजीनामे के नामान्तरकरण वाली जमीन बंटवारे से अलग हो गई। अपीलान्ट की अलग खातेदारी की विक्रय पत्र निरस्त करने के मुकदमे के कारण इनको प्रकरणों की पहले से जानक अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि इनको नामान्तरकरण की पूर्व से जानकारी न अपीलान्ट ने यह अपील गलत तथ्यों के आधार पर पेश की है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट अपील खारीज की जाकर अदालत मातहत का नामान्तरकरण सं0 3897 के कम मे पारित दिनांक 18.12.2018 यथावत रखा जाता है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाय पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्त

आदेश आज दिनांक 27.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( एल0एस
जिला क
झुंझु
जिला

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:22:06 IST
Reason: SelfAttested